

डॉ. शर्मा ने बताया कि आमजन अगर किसी दुकानदार द्वारा मिलावटी या एक्सपायरी खाद्य सामग्री बेचे जाने की जानकारी पाते हैं, तो इसकी शिकायत **01552-261190** अथवा राज्य स्तरीय व्हाट्सएप नंबर **9462819999** पर कर सकते हैं। शिकायत मिलने

पर विभागीय टीम मौके पर जांच कर कार्रवाई करेगी ।

उन्होंने खाद्य व्यापारियों से अपील की कि वे शुद्ध, बिना मिलावट और एक्सपायरी डेट देखकर ही खाद्य पदार्थों की बिक्री करें, ताकि **“शुद्ध आहार-मिलावट पर वार”** अभियान को सफल बनाया जा सके ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.